Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 1, January-2019, ISSN 2230-7540

महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन

Renu Bala*

M.A, M.Phil. (Political Science)

सारांश - यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताष्। भारतीय संस्कृति में नारी सदा ही शक्ति का प्रतीक मानी जाती रही है। हमारे ऋषियों की मान्यता थी, कि जहाँ नारी को समुचित सम्मान मिलता है, वहाँ देवता निवास करते है। वैदिक काल की ऋषिकांए हो, चाहे उन्नीसवीं एवं बीसवीं सदी की क्रान्तिकारी महिलाएं, ये नारी शक्ति के विभिन्न रूप है। परन्तु फिर भी उसे समाज में पितृसत्तात्मकता के कारण पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हुए। भारतीय नारी आज भी वह नर की छाया नारी, चिरनमित नयन, पद विजड़ित, स्थापित घर के कोने में, वह दीपशिखा सी कंपित। आज हम स्मृतियों से संविधान तक आ गए है, जहाँ कि प्रत्येक क्षेत्र में नारी को पुरूषों के समान अधिकार प्रदान किए गए है। इन अधिकारों की क्रियान्विति के लिए महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक है। सरकार द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रमों एवं नीतियों के माध्यम से राजनीति में महिला सहभागिता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे है। महिलाओं में अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता व राजनीतिक सशक्तीकरण न केवल महिलाओं के विकास के लिए जरूरी है, बल्कि उनकी रचनात्मक क्षमता की सुलभता सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इसके बिना देश निरन्तर विकास के पथ पर प्रगति नहीं कर सकता। महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता एवं सशक्तीकरण के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है, परन्तु क्या महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है।

----------X----------

प्रस्तावना

महिला की सुदृने और उसकी श्रेष्ठता को पहचानने तथा सीमाओं को चिन्हित करने का सबसे अच्छा तरीका उसके अन्तर्गत महिलाओं की प्रस्थिति का अध्ययन करना है। समाज में महिलाओं की प्रस्थिति तथा भूमिका विभिन्न कालों में परिवर्तित होती रही है तथा समाज में श्रम विभाजन महिला तथा पुरूष के मध्य जेंडर पर निर्भर है। महिलाओं के जीवन का महत्वपूर्ण कार्य बच्चों का पालन - पोषण करना हैं तथा उन्हें समाज में पुरूषों की अपेक्षा कम गतिशील समझा जाता है। समाज में महिलाओं की भूमिका उस समाज में प्रचलित प्रथाओं तथा परम्पराओं से भी निर्धारित होती है। मोजर के अनुसार विकासशील देशों में महिलाएं तिहरी भूमिका का निर्वहन करती हैः-

- प्रजनन कार्य: बच्चों का प्रजनन, पालन - पोषण
- उत्पादक कार्य: घरेलू उत्पादन
- सामुदायिक प्रबंधन: जल प्रबंधन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा।

वैश्विक परिदृश्य में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता

वश्व के अधिकांश देशों में राजनीति में महिलाओं की सहभागिता कम ही है। महिलाएं विश्व की आबादी का आधा भाग है लेकिन विश्व के विभिन्न देशों की संसद में महिला प्रतिनिधित्व मात्र 20.87 प्रतिशत है। विश्व के सभी देशों में महिलाओं को वैधानिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन राजनीति में भी लैंगिक असमानता व्याप्त है। विश्व स्तर पर राजनति में महिला सहभागिता बहुत कम है। विश्व में स्वीडन, अर्जेन्टीना तथा रवांडा में महिला की राजनीतिक सहभागिता उच्च स्तर की है। रवांडा तथा एंनडोरा में महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत है। क्यूबा तथा स्वीडन की संसद में महिला सहभागिता क्रमशः 48.9 प्रतिशत तथा 44.7 प्रतिशत है। अतः विश्व की संसद में महिलाओं की औसत

www.ignited.in

संख्या पुरूषों की तुलना में कम है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष तथा 1970 के दशक को महिला दशक घोषित किए जाने के बावजूद भी महिलाएं विकास की मुख्य धारा में पिछड़ी हुई है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट, 2013 के अनुसार 185 देशों में मानव विकास सूचकांक के अनुसार रवांडा (जो कि विकासशील देशों की सूची में सम्मिलित है) में राजनीति में महिला सहभागिता 56.3 प्रतिशत है तथा क्यूबा और स्वीडन (जो कि विकसित देश है) में राजनीति में महिला सहभागिता क्रमशः 48.9 प्रतिशत और 44.7 प्रतिशत है। विश्व में जो कि विकसित देश है, राजनीति में महिला सहभागिता के क्षेत्र में पिछडे है। आईपी.यू. की रिपोर्ट 2013 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान 78 है, जो कि अर्जेन्टीना (18), नेपाल (24), यूगांडा (21) से नीचे है। पाकिस्तान का स्थान 58 तथा बांग्लादेश का स्थान 71 तथा भारत का 110 वां स्थान है। विश्व में विकसित देशों में महिला सहभागिता कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्र प्रमुख पद पर कभी कोई महिला आसीन नहीं हुई, जबकि श्रीलंका, फिलीपीन्स, इंडोनेशिया तथा भारत में महिलाएं राष्ट्र प्रमुख के पद पर आसीन रही है।

राजनीतिक क्षेत्र में महिला सहभागिता अन्य क्षेत्रों (शिक्षा, रोजगार) की अपेक्षा कम है। महिलाओं की शिक्षा तथा परम्परागत पुरूष प्रधान रोजगार क्षेत्रों में संख्या बढ़ी है लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अभी महिलाओं को दोयम दर्जा प्राप्त है। पुरूष प्रधान राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत कम है तथा वे इस क्षेत्र में अभी बूँद मात्र है।

राजस्थान में महिला प्रस्थिति

'राजस्थान', राजाओं के निवास के प्रान्त को स्थानीय साहित्य में 'रायथान' कहते थे। इसी का संस्कृत रूप राजस्थान बना। राजस्थान के समाज में प्राचीन काल से महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं रही। समाज में संयुक्त परिवार तथा पितृसत्तात्मकता का प्रचलन रहा। प्राचीन काल में समाज में महिलाओं को शिक्षा मध्यम तथा राजपरिवारों में दी जाती थी। 15 वीं शताब्दी के जावर के शिलालेख में महाराणा कुम्भा की पुत्री रमाबाई के संगीतज्ञ एवम् हिन्दुशास्त्रविद होने के प्रमाण है। मीराबाई हिन्दू दर्शन एवम् काव्य रचना में निपुण थी। राजस्थान में कई साहित्यिक ग्रन्थ ऐसे है, जिनको राजकुमारियां, समृद्ध परिवार की स्त्रियाँ तथा रानियाँ नियमित रूप से पढ़ती थी। मध्यम वर्ग की स्त्रियाँ भी शिक्षा में रूचि लेती थी। साधारण दासियों द्वारा लिखे गये पत्र बीकानेर अभिलेखागार में सुरक्षित है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि इस वर्ग में महिलाएं विद्याध्ययन में रूचि रखती थी, परन्तु फिर भी समाज में स्त्री शिक्षा कम लोकप्रिय थी। राजस्थान में समाज में बहुपत्नी प्रथा तथा कन्या वध का भी प्रचलन था। उन्नीसवीं सदी में राजपूतों के लिए आवश्यक दहेज जुटा पाना कठिन होने के कारण समाज में कन्यावध की प्रथा को प्रोत्साहन मिला। कर्नल टॉड के अनुसार राजपूतों में जागीरों के छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटने तथा पुत्रियों के लिए उचित दहेज देने में असमर्थता कन्या वध का प्रमुख कारण रही। राजस्थान में कन्या को अफीम देकर मारने का भी प्रचलन रहा। राजस्थान में अंगेजी राज की स्थापना के पश्चात् सर्वप्रथम 1834 ई. में कोटा राज्य में कन्या वध को अवैध घोषित किया।पप राजस्थान में महिलाओं पर डाकन का आरोप लगाकर मार डालने की प्रथा का भी प्रचलन रहा है। कोटा राज्य में यह काफी प्रचलित थी।

आज भी समाज में इस प्रथा का प्रचलन है। सर्वप्रथम 1853 में उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया गया। इस समाज में सती प्रथा, बालविवाह का भी अत्यधिक प्रचलन रहा है। राजस्थान में आज भी अक्षय तृतीय पर बालविवाह होते है, जबकि स्वतंत्र भारत में उसके विरूद्ध कानून है। राजस्थान के समाज में महिलाओं को पुरूषों के समान स्थान प्रदान नहीं किया गया। राजस्थानी समाज में प्रचलित व्रत तथा त्यौहार जैसे गणगौर, हरतालिका तीज, कजली तीज आदि के द्वारा महिलाओं व कन्याओं को समाज में पित्रसत्तात्मक व्यवस्था को अवचेतन रूप में स्वीकृत करवाया जाता है। विवाह के पश्चात् करवाचैथ व्रत के द्वारा महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पति के उच्च स्थान को स्वीकार करती है।

राजस्थान में समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी न होने के बावजूद भी स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाऐं क्रियाशील रही। बीकानेर की खेत बाई, जयपुर की नारंगी देवी, अजमेर की गीता बाई, कोटा की रामप्यारी आदि ऐसी महिलाएं थी जिन्होने राष्ट्रीय आन्दोलन में राजस्थान की 31 महिलाओं का नेतृत्व किया। राजस्थान में अभिजात्य वर्ग के जननेताओं के परिवार की महिलाओं की राजनीति में सहभागिता रही। राजस्थान के समाज में महिलाओं को पुरूषों के समान स्थान प्रदान नहीं किया गया। राजस्थानी समाज में प्रचलित व्रत तथा त्यौहार जैसे गणगौर, हरतालिका तीज, कजली तीज आदि के द्वारा महिलाओं व कन्याओं को समाज में पित्रसत्तात्मक व्यवस्था को अवचेतन रूप में स्वीकृत करवाया जाता है। विवाह के पश्चात् करवाचैथ व्रत के द्वारा महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पति के उच्च स्थान को स्वीकार करती है।

www.ignited.in

समाज में महिला पुरूष के मध्य श्रम विभाजन भी महिलाओं को दोयम दर्जा प्रदान करता है। समाज में आज भी कन्या भ्रूण हत्या का प्रचलन है। 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूषों पर 926 महिलाएँ है। आज भी महिलाएँ समाज में हिंसा, पर्दाप्रथा आदि का सामना कर रही है। राजस्थान में महिलाओं में शिक्षा की धीमी गति है, राजनीति में महिला सहभागिता बहुत कम है। हाड़ौती क्षेत्र से 2009 के लोकसभा चुनावों में मात्र दो महिलाऐं ही प्रत्याशी थी। केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर महिला विकास हेतु कदम उठाये जाते रहे है, परन्तु फिर भी राजनीति में महिलाओं की संख्या बहुत कम है।

नारीवाद

प्रत्येक समाज में उच्चता व निम्नता का विचार स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहा है तथा यही विचार समाज में महिलाओं के सम्बन्ध में भी विद्यमान रहा है। इस विचार को चुनौती नारीवादी विचारधारा द्वारा दी गई। नारीवाद का प्रमुख उद्देश्य पितृसत्ता को चुनौती देना है। गर्डा लर्नर के अनुसार परिवार में महिलाओं और बच्चों पर पुरूषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति और संस्थागतकरण तथा सामान्य रूप से महिलाओं पर पुरूषों के सामाजिक वर्चस्व का विस्तार है। इसका अभिप्राय यह है कि समाज के सभी महत्वपूर्ण सत्ता प्रतिष्ठानों पर पुरूषों का नियंत्रण रहता है और महिलाएं ऐसी सत्ता तक पहुंच से वंचित रहती है। नारीवाद एक विचारधारा है, जो कि समानता पर आधारित है। नारीवाद के अनुसार महिलाओं को भी समाज में पुरूषों के समान वैधानिक, राजनैतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इस विचारधारा में महिला व पुरूष में विद्यमान असमानता का विरोध किया गया है। इनके अनुसार जेंडर का संबंध संस्कृति से तथा लिंग का संबंध प्रकृति से है। महिला व पुरूष के मध्य असमानता प्राकृतिक आधार पर नहीं वरन् असमान शक्ति संबंधों के कारण है जो कि समाज द्वारा स्वीकृत है। इस विचारधारा के अनुसार पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत महिला व पुरूष को निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया है। महिलाओं का संबंध निजी क्षेत्र अर्थात् वे शक्तिहीन है तथा पुरूषों का संबंध सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात् शक्ति तथा निर्णय प्रक्रिया से है। नारीवादी आन्दोलन के इतिहास की शुरूआत मूलतः फ्रांस की क्रांति से हुई।

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता

राजनीतिक क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण के लिए महिलाओं की राजनीति में सहभागिता को बढ़ाना आवश्यक है। महिलाओं की न्यून राजनीतिक सहभागिता विभिन्न अध्ययनों का विषय रही है क्योंकि राजनीति निर्णय निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जहाँ कि राजनेताओं द्वारा लिए गए निर्णय समाज को प्रभावित करते है। राजनीति में शक्ति निहित है, जो कि अन्य सामाजिक संस्थाओं (परिवार, शिक्षा आदि) पर विधि के द्वारा अपने निर्णयों को लागू करती है। राजनीतिक पद पर आसीन व्यक्ति के पास सत्ता केन्द्रित होती है, जो कि उसे समाज के लिए वैधानिक निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है।

विश्व स्तर पर महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बहुत कम है। महिलाएं विश्व की आबादी का आधा भाग है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर राष्ट्रीय संसंद में उनकी सहभागिता पचास प्रतिशत भी नहीं है। इस तथ्य को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी विभिन्न सम्मेलनों में उठाया गया है तथा इस बात पर बल दिया गया कि महिला व पुरूष का राजनीति में प्रतिनिधित्व समान अनुपात में होना चाहिए।

व्यक्ति की राजनीतिक सक्रियता की प्रेरणा क्या है? किसी देश में राजनीतिक प्रवेश की प्रथम सीढ़ी केवल राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त करना ही नहीं है वरन् महिला/ व्यक्ति के राजनीति में प्रवेश के लिए प्राथमिक स्तर पर महिला में राजनीतिक महत्वकांक्षा का होना जरूरी है। द्वितीय, राजनीतिक दल द्वारा समर्थन प्राप्त करना, तृतीय - प्रतिनिधि के रूप में जनमत का समर्थन तथा चतुर्थ स्तर पर महिलाएं राष्ट्रीय/स्थानीय विधायिकाओं में प्रवेश करती है। नोरिस ने महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता का मॉडल दिया है, जिसे माटलैन्ड द्वारा परिष्कृत किया गया है। माटलैण्ड के अनुसार महिलाओं में राजनीति में प्रवेश के लिए राजनीतिक महत्वकांक्षा, संसाधन होने जरूरी है तथा राजनीतिक दल द्वारा चुनावों में उम्मीदवार के रूप समर्थन प्राप्त होना चाहिए तथा अंतिम चरण के रूप में मतदाता द्वारा मत देकर विधायक के रूप में चुना जाना चाहिए।

महिला सशक्तीकरण

सशक्तीकरण एक बहुआयामी धारणा है। इसका सम्बन्ध व्यक्ति की सामाजिक उपलब्धियों, आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता से जुड़ा होता है। सशक्तीकरण एक सतत् प्रक्रिया है जिसका सम्बन्ध निर्णय लेने की क्षमता, लोकतान्त्रिक माध्यम से दूसरों की धारणाओं को बदलने की क्षमता,

www.ignited.in

परिवर्तन के सम्बन्ध में सकारात्मक सोच आदि से है। बाटलीवाला (1994) के अनुसार, सशक्तीकरण का अर्थ संसाधनों (भौतिक तथा बौद्धिक) तथा विचारधारा पर नियंत्रण से है। यह मौजूदा शक्ति सम्बन्धों को चुनौती देने की और शक्ति के स्त्रोत पर अधिक नियंत्रण पाने की प्रक्रिया है अर्थात् सशक्तीकरण का तात्पर्य शक्ति की वृद्धि से है। सुषमा सहाय (1998) के अनुसार सामान्य रूप से सशक्तीकरण का अर्थ शक्ति के पुनर्वितरण से है, जो कि पुरूष प्रभुत्ता और पित्रसत्तात्मक विचारधारा को चुनौती देता है। महिला सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शक्ति निहित है अर्थात् समाज में परंपरागत रूप से चली आ रही अन्यायपूर्ण स्थितियों का तर्क की दृष्टि से विरोध करने व निर्णय लेने की क्षमता या सामथ्र्य है। महिला सशक्तीकरण संसाधनों पर नियंत्रण अथवा शक्ति हासिल करने और महिलाओं द्वारा निर्णय लेने की क्षमताओं पर बल देती है। महिला सशक्तीकरण की पहल सर्वप्रथम 1985 में नेरोबी में सम्पन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में की गयी थी। इसके बाद विश्व के सभी भागों में इसने एक आन्दोलन का रूप ले लिया। महिला सशक्तीकरण का सामान्य अर्थ महिला को शक्तिसम्पन्न बनाना है। जबकि विशिष्ट अर्थ में समाज की शक्ति संरचना में महिला के पद स्थिति को सुद्धारण प्रदान करना है। अर्थात् महिला सशक्तीकरण का अर्थ महिलाओं में वैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वायत्तता से है।

1995 में बीजिंग में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी इस बात पर बल दिया गया कि समाज में विकास, शांति व समानता के लिए आवश्यक है कि महिलाऐं सशक्त हो तथा समानता के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता हो। अतः सशक्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें महिलाऐं विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहभागी होती है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा संविधान में 73 वें तथा 74 वें सविधान संशोधन द्वारा पंचायतीराज तथा नगर निकायों में आरक्षण प्रदान किया गया है, ताकि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाया जा सके। अतः सशक्तीकरण एक सतत् प्रक्रिया है जो समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समानता तथा स्वायत्त रूप से निर्णय लने की प्रक्रिया में सक्षम बनाती है।

महिला सशक्तीकरण को मापने के लिए विभिन्न अध्ययनों में शिक्षा, संसाधनों पर नियंत्रण और उनकी सुलभता, आत्मनिर्भरता, सम्मान, अधिकारों के लिए संघर्ष, शक्ति, स्वतंत्रता, स्वायत्तता, निर्णय लेने की क्षमता के सन्दर्भ में महिला की शक्ति आदि सूचकों का प्रयोग किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की मानव विकास रिपोर्ट (HDR) 1995 में मानव विकास के दो सूचकांक: लिंग आधारित विकास सूचकांक तथा लिंग आधारित सशक्तीकरण सूचकांक है। जी.डी.आई. में महिला तथा पुरूष में आधारभूत आवश्यकताओं के आधार पर असमानता को आँका जाता है। जीईएम (GEM) एक ऐसा सूचक है जिसके द्वारा महिला की राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक सहभागिता तथा आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण को मापा जाता है। भारतीय मानव विकास रिपोर्ट में 2007-08 में राजस्थान का मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.434 तथा भारत में रैंक 17 है। भारत की 2007-08 में विश्व में मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.467 है जो कि विश्व के देशों की अपेक्षा कम है।

सशक्तीकरण की प्रक्रिया महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शक्ति प्रदान करती है। शक्ति का आभास व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता को उत्पन्न करता है। इस अध्ययन में उत्तरदाताओं द्वारा क्षेत्र विशेष की समस्या को निगम की बैठक में उठाना, राजनीतिक बैठक का नेतृत्व करना, स्वयं के दल की किसी इकाई की अध्यक्ष, महिला का चयन राजनीतिक दल द्वारा राष्ट्रीय स्तर की बैठक में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने हेतु तथा महिलाओं के संस्था में किसी कमेटी की अध्यक्ष, क्षेत्र का नेतृत्व कर कॉलोनी की समस्या को सांसद/विधायक के समक्ष उठाना, संस्था में किसी सेमिनार/वर्कशाप का आयोजन आदि के आधार पर नेतृत्व विशेषताओं का अध्ययन किया गया है।

राजनीतिक जागरूकता

किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक जागरूकता से तात्पर्य राजनीतिक परिदृश्य के बारे में ज्ञान से है। यह राजनीतिक संस्थाओं व प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी के साथ राजनीतिक व्यवस्था के प्रति समझ को प्रदर्शित करता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था व मूल्यों के प्रति चेतना विकसित करते है, उनमें रूचि लेते है तथा इसके फलस्वरूप व्यक्ति देश में हो रही विभिन्न राजनीतिक घटनाओं तथा परिवर्तन के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। राजनीतिक जागरूकता का स्तर उच्च होना लोकतंत्र के सफल संचालन में दूरगामी परिणामों का घोतक है। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के फलस्वरूप स्त्री - पुरूष समानता के प्रावधान है। महिला - पुरूष समानता के सिद्धान्त को कानूनी मान्यता के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में महिला भागीदारी कम है। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में महिलाओं की क्रियाशीलता सार्वजनिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में कम थी। भारत में महिलाओं को मताधिकार के पश्चात्

www.ignited.in

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता की स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा भारत में राजनीतिक क्षेत्र में कुछ ही महिलाएँ सक्रिय हुई। महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में रूचि एवं सहभागिता बढ़ाने में भारतीय महिला संघ, भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद् तथा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन संघों की ऐतिहासिक शुरूआत ने महिला मुद्दों को व्यापक राष्ट्रवादी स्वरूप प्रदान किया।

निष्कर्ष

आधुनिक युग में लैंगिक समानता का प्रश्न तथा समान राजनीतिक अधिकार एवं सहभागिता का विषय विश्व स्तर पर सर्वाधिक चर्चित है। विभिन्न शोधों में महिलाओं के प्रति असमानता के व्यवहार, सार्वजनिक जीवन में उनकी सीमित भागीदारी, समाज में विद्यमान पितृसत्तात्मक व्यवस्था के संदर्भ में विवेचित किया गया है। वैधानिक दृष्टि से महिलाओं को समाज में समानता के अधिकार प्राप्त है, किन्तु व्यवहारिक दृष्टि से उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। समाज में अभी भी व्यवहारिक रूप से महिलाओं को पुरूषों के समान नहीं समझा जाता। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री - पुरूष संबंधों में सबल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही प्रभावशाली स्थिति प्राप्त करता है। सामान्य रूप से समाज में पुरूषों को महिलाओं पर अधिकारिक आज्ञा देने का अधिकार प्रदत्त है। भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही पुरूषों की तुलना में समाज एवं परिवार में महिलाओं की स्थिति निम्न रहीं है। महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता एवं सशक्तीकरण शिक्षा, नगरीकरण, स्थानीय नेतृत्व का गुण आदि से प्रभावित होती है। प्रस्तुत अध्याय में महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता एवं सशक्तीकरण का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में राजनीतिक जागरूकता तथा सशक्तीकरण से संबंधित सामग्री का वर्णनात्मक तथा संबंधात्मक (काई वर्ग) विश्लेषण किया गया है। जागरूकता मानसिक अभिवृत्ति है। महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता के स्तर की जाँच इस अध्ययन में केप मॉडल के द्वारा की गई है। राजनीतिक जागरूकता की जांच राजनीतिक जानकारी, अभिवृति एवं अनुप्रयोग के स्तर पर की गयी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Verma, Sudhir. (1997). "Women's Struggle for Political Space." Jaipur: Rawat Publications. P - 2.

2. Reynolds, Andrew. (1999). "Women in the Legislatures and Executives of the World Knocking at the Highest Glass Ceiling." World Politics, Vol. 51, PP. 547 - 72.

3. शर्मा, प्रज्ञा. (2011). "भारतीय समाज में नारी." जयपुर: पॉइंटर पब्लिशर्स, पेज - 162.

4. चोपड़ा, पी.एन. पुरी, बी.एन., दास एम.एन. (2005). "भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास." दिल्ली: मेकमिलन इंडिया लि. पेज - 259.

5. शर्मा, गोपीनाथ. (2008). "राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास." जयपुरः राजस्थान हिंदी ग्रथ अकादमी. पेज - 119.

6. शर्मा, कालूराम. (2004). "उन्नीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन." जयपुरः राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, पेज - 125.

7. जैन, हुकुमचंद एवं माली, नारायण. (2011). "राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति: एनसाइक्लोपीडिया." जयपुर: जैन प्रकाशन मंदिर. पेज - 548.

8. अंसारी, एम.ए. (2010). "महिला व मानवाधिकार" जयपुर: ज्योति प्रकाशन।

9. कैथवास, सावित्री. (2009). "अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के राजनैतिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया में आ रही बाधांए: नए पंचायतीराज के विशेष सन्दर्भ में," ग्रामीण विकास, जनवरी - जून. 25, पेज - 30.

10. शर्मा, प्रज्ञा. (2011). "महिला विकास और सशक्तीकरण." जयपुर: आविष्कार पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स।

Corresponding Author

Renu Bala*

M.A, M.Phil. (Political Science)

www.ignited.in